न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 2012/00175 (20/2012) 223 आरटीएक्ट

अमरसिह पुत्र स्व0 फौजासिंह पुत्र इमीलाल पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी कोहला तहसील व जिला हनमानगढ। —अपीलांट

बनाम

1. मुख्त्यार कौर धर्मपत्नी स्व0 श्री फौजासिंह, जाति जटसिख, निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कर्मजीत कौर पुत्री स्व0 फौजासिंह धर्मपत्नी श्री इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी दसूजोधा, तहसील डबवाली जिला सिरसा(हरियाणा)
3. गुरदीपसिह
4. टहलसिंह
5. राजेन्द्रसिह

} पुत्रगण स्व0 फौजासिंह पुत्र स्व0 श्री नन्दसिंह, जाति जटसिख, निवासी टिब्बी, तहसील जिला हनुमागढ

6. मनप्रीतकौर पुत्री स्व0 श्री फौजासिंह धर्मपत्नी श्री गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी नाथावाली, चक 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. सन्तासिंह पुत्र स्व नन्दसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट/वादी संया 1/1 से 1/4 व 1/6 से 1/7 व 2

8. बाबूसिंह पुत्र श्री नन्दसिह जाति जटसिख निवासी नौरंग तहसील डबवाली, जिला सिरसा (हरियाणा)
9. हरनेकसिह पुत्र जयमलसिह
10. दयालसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह
11. वकीलसिंह पुत्र स्व0 श्री बिकर सिह पुत्र स्व श्री किशन सिह
12. जग्गासिह पुत्र स्व0 श्री किशनसिंह
13. भोलासिह पुत्र स्व श्री भूरसिंह पुत्र श्री बुगरसिह
14. मिट्ठूसिंह पुत्र स्व0 श्री बूगरसिह
15. सुखदेवसिंह पुत्र श्री वचनसिंह

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज.)

16. मेजरसिंह
17. मक्खनसिंह } पि0 बन्तासिंह
18. गुरतेजसिंह
19. प्रश्नी बेवा ठानासिंह पुत्र श्री किशनसिंह
20. सतवेन्द्रसिंह पुत्र श्री भालसिंह
21. गुरविन्द्रसिंह पत्र श्री दर्शनसिंह
22. गुरदेवसिह } पुत्रगण श्री हरीसिंह
23. अंग्रेजसिंह उर्फ गुरबचनसिंह
24. सुखदेवसिंह
25. बलदेवसिंह
26. जंगीरसिंह
27. गुरदीपसिंह } पुत्रगण श्री अमरसिंह पुत्र स्व घसीटासिंह
28. सोहनसिंह } पुत्रगण स्व श्री घसीटासिंह
29. मोहनसिंह

——रेस्पोडेन्ट्स

30- तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी, जिला हनु...

Ordered Dated [signature]

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

निर्णय दिनांक 20.12.2011 प्रकरण संख्या 290 / 2002

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1,2,3,4,5,6

श्री अशोक छोडा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 8

श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 20

श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 26.04.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि स्व0 फौजासिह एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। वादपत्र में प्रश्नगत भूमि की खातेदारी घोषणा करते हुए खाता विभाजन करते हुए प्रतिवादी नं. 1 का नाम कलमजन करने एवं रकम राज अलग अलग कायम करने का अनुतोष

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

[signature]

राजस्व अपील प्राधिकारी

मांगा। प्रतिवादी संख्या 13 व 14 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिस पर तनकियात कायम की जाकर विचारण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.12.2011 के द्वारा वाद वादी डिक्री किया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 ने श्री फौजासिह द्वारा अपने वारिसान के मध्य की गई पारिवारिक वयवस्था को छिपाकर यह डिक्री हासिल की है। पारिवारिक व्यवस्था में फौजासिह ने अपीलाण्ट को चक 6 जीजीआर में 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि व चक 6 एसआरडब्ल्यू में 3 बीघा कुल 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि देकर अलग कर दिया था। जिसका ज्ञान रेस्पोडेण्ट संख्या 4 को बखूबी था। परन्तु रेस्पोडेण्ट ने तथ्यों को छिपाकर अपनी साक्ष्य में यह मिथ्या कथन किया कि स्व0 फौजासिह के वारिसान ने चक 6 जीजीआर की समस्त भूमि विक्रय कर दी। तथा चक 6 एसआरडब्ल्यू व चक 7 एसआरडब्ल्य में शेष रही 18 बीघा भूमि में सभी सातों वारिसों का बहिससा बराबर का हक है। रेस्पोडेण्ट संख्या 4 ने यह जानते हुए कि उसने चक 6 जीजीआर में अपीलाण्ट के हिस्सा की भूमि को गुरकिरत सिह पुत्र गुरपाससिंह को विक्रय कर दी है तथा इस भूमि के बदले में चक 6 एसआरडब्ल्यू की अपने कब्जा काश्त की 3 बीघा भूमि अपीलाण्ट को दी है तथा इस प्रकार अपीलाण्ट का चक 6 एसआरडब्ल्यू में 6 बीघा का हिस्सा है, चक 6 एसआरडब्ल्यू व चक 7 एसआरडब्ल्यू की कुल 18 बीघा 5 बिस्वा भूमि में अपीलाण्ट का मात्र 1/7 हिस्सा घोषित करवा कर अर्थात 2 बीघा 12 बिस्वा घोषित करवाकर 3 बीघा 8 बिस्वा से वंचित किया है तथा फौजासिंह द्वारा लागू पारिवारिक व्यवस्था को निष्फल किया है। फौजासिह ने अपने जीवनकाल में पैतृक सम्पति का बंटवारा अपने पुत्रों के मध्य कर दिया था। इस पारिवारिक व्यवस्था में पुत्रियों का हिस्सा समाप्त हो गया था। अपीलाधीन निर्णय में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 6 किसी प्रकार से हकों की घोषणा करवाने की अधिकारीणी नहीं है। अपीलाण्ट पारिवारिक व्यवस्था के अन्तर्गत 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्राप्त कर एक पृथक पुत्र हो चुका था इसलिए रेस्पोडेण्ट खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज०)

नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ता 6 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में सहमति से डिक्री पारित की गई है। जिस बंटवारा का उल्लेख किया गया है वह रजिस्टर्ड नहीं है। जिस दिन बंटवारा हुआ है उस दिन की लिखा पढी नहीं हुई जिसका रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2006 (1) पेज 45, आरआरटी 1990 पेज 548, आरआरडी 1986 पेज 69, आरआरडी 1997 पेज 68, आरआरटी 2001 (1) पेज 344 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 20 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट की खाते की भूमि को कलमजन किया गया है जो गलत है। वादीगण का कब्जा काश्त नहीं था कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। अत अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (9) 2002 पेज 639 व पेज 608, आरबीजे (11) 2004 पेज 623, आरआरटी 2014 (1) पेज 695, आरबीजे 2010 पेज 597, आरबीजे 2004 पेज 207 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

6. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दावा घोषणा एवं विभाजन अनतर्गत धारा 88, एवं 53 आरटीएक्ट में पेश किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायलाय में विचारण के बाद डिक्री किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा चक 6 जीजीआर, चक 5, 6, 7 एसआरडब्ल्यू से संबंधित कई संयुक्त खातों की भूमि का दावा पेश किया था, जो प्रथमबार एकपक्षीय डिक्री किया गया है। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 13, 14 की हाल अपील के रेस्पोडेण्ट संख्या 20, 21 द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार कर पुनः सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी किये गये हैं। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के वादी 1/5 अमरसिंह द्वारा पेश की गई है, जिसमें उन्होंने उनके संबंधित पारिवारिक सेटलमेंट के तथ्य को नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण निर्णय से प्रभावित होकर पेश की है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित रहे थे, किन्तू उनके द्वारा इनके संबंधित तथ्यों का प्रस्तुत नहीं करने के कारण यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिवादी 13, 14 ने भी अपने हिस्से को कलमजन किये जाने बाबत दौराने बहस आपत्ति प्रस्तुत की है।

8. जहां तक गुणागुणव का प्रश्न है दावा विभाजन एवं घोषणा का है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में तनकीयात कायम करके और तनकीवार निर्णय करते हुए सभी तनकीयात को प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित मानते हुए अंकित किया है। वादीगण द्वारा इन चार चकों की कुल 62 है0 भूमि के संबंध में दावा पेश किया था जिसके पैरा 4 'ए' में फौजा सिंह के हिस्से में आई भूमि का अंकन किया एवं पैरा 4 'ब' में संतासिंह के हिस्से में आई भुमि का अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवाईज किये गये निर्णय में वादीगण की सम्पूर्ण तनकीयात को साबित माना है एवं फौजासिहि के हिस्से में आई पैरा 4 ए, 4 ब अनुसार वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी सिद्ध होना पाया है और इसी के अनुसार अंकन करने का अधिकारी माना है। प्रतिवादीगण संख्या 13, व 14 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनकी भूमि को कलमजन करने के आदेश भी दिये गये हैं। तनकीवार किये गये निर्णय में तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैरा 4ए व 4 ब के अनुसार फौजासिंह के हक में अंकन करने का अधिकारी माना है किन्तु तनकीवार किये गये निर्णय में तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैरा 4 ए और 4 ब के अनुसार फौजासिंह व संतासिंह के पक्ष में अंकन कराने का अधिकारी मानते हुए निर्णित किया गया है, किन्तु निर्णय के अन्तिम पैरा में यह अंकित करते हुए कि चक 6 जी.जी.आर. की कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई अनुतोष प्राप्त करना नहीं चाहते इसलिए अन्य चक नं. 5, 6, 7 एसआरडब्ल्यू की भूमि जो वादपत्र के 4 ए व 4 ब में वर्णित है उसी अनुसार वादीगण इस्तकराकर हक की डिक्री प्राप्त करने एवं खाता विभाजन कराने के अधिकारी मानते हुए इन तीन चकों में वादीगण की भूमि के संबंध में घोषणा करते हुए विभाजन की डिक्री पारित की है और प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख 13, 14 का नाम कलमजन करने का आदेश दिया गया है। अन्य सह खातेदारों की भूमि के संबंध में आदेश में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है। इसके अलावा 6 जीजीआर की भूमि के सबंध में वादीगण का नाम क्यों हटाया इस बाबत भी निर्णय में किसी प्रकार का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी

अंकन नहीं किया गया है। जब विभाजन का दावा किया गया है तो वादीगण को जो भूमि दी जा रही है उसका स्पष्ट आधार होना अपेक्षित है साथ ही यदि किसी खातेदार की भूमि को कम किया जा रहा है तो उसका क्या आधार है ये भी निर्णय में अंकित करना आवश्यक होता है। अन्य सह खातेदारों को कितनी भूमि संयुक्त रूप से अथवा अलग–अलग मिली है उसका अंकन भी निर्णय में करना अपेक्षित था। सिर्फ वादीगण के हिस्से को अंकित करते हुए निर्णय पारित करना न्यायोचित नहीं है। इस निर्णय में तो वादीगण का जो चक 6 जीजीआर में हिस्सा था उसका भी कोई आधार अंकित नहीं किया। सिर्फ ये लिखने से कि वादीगण द्वारा इस संबंध में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया तो क्या उक्त भूमि का बेचान किया गया है या किसी अन्य तरीके से अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित की गई है। इसका स्पष्ट आधार निर्णय में अंकित करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त 13, और 14 का हिस्सा किस आधार पर कलमजन किया गया, इसका भी कोई अंकन नहीं किया गया। किसी खातेदार के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने की वजह से उसका हिस्सा कलमजन किया जाना उचित प्रतीत नही होता। यदि किसी तरीके से भूमि का हस्तान्तरण किया गया है तो उसका अंकन करते हुए अथवा किसी स्पष्ट न्यायिक आधार पर हिस्सो का कलमजन किया जाना चाहिये। विभाजन एवं घोषणा के दावे में वादीगण के अलावा अन्य सह खातेदारों की भूमि का भी अंकन करते हुए दावा निर्णित किया जाना चाहिये था। विभाजन के दावे में सभी पक्षकारों के हिस्सों अंकित/निर्धारित करते हुए प्राथमिक डिक्री किया जाना आवश्यक है। प्रथमिक डिक्री के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मंगाकर तद्नुसार अंतिम डिक्री किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया है। अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्ण परीक्षण नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोडेण्ड द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होनं के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अतः उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन के आलौक में एवं अपीलाण्ट द्वारा अपील में उठाये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पुनः परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2011 खारिज किया जाता है। प्रकरण सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2019 को पेश हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26/4/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)